

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 628 सन 2022

अनवान :-

1. विनोद कुमार पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी बनवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 05/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 बाराणी के खाता संख्या 176/150 की कुल 3.5420 हैक् में से 1/21 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज है केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की वाद भूमि की अपनी स्वैच्छा से दिनांक 15.05.2021 को एक वसीयत अपनी मृतक लडकी सोनादेवी के पुत्र विनोद कुमार पुत्र लक्ष्मण जो केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम का दोहिता है जो केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम की सेवा चाकरी करता है के पक्ष में करवाई जारी नॉटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाई गई थी।

केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम को देहान्त हो चुका है केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम के देहान्त होने के बाद उनकी वसीयत दिनांक 15.05.2021 प्रभावी हो जाती है जिसके अनुसार वाद भूमि का वादी खातेदार काश्तकार हो गया है वादी केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम की वसीयत के अनुसार वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम की वसीयत के अनुसार वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है इसलिये वाद भूमि वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी ने वादी के वाद का प्रतिरोध नहीं करने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 बाराणी के खाता संख्या 176/150 की कुल 3.

5420 हैव में से 1/21 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज है केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की वाद भूमि की अपनी स्वेच्छा से दिनांक 15.05.2021 को एक वसीयत अपनी मृतक लडकी सोनादेवी के पुत्र विनोद कुमार पुत्र लक्ष्मण जो केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम का दोहिता है जो केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम की सेवा चाकरी करता है के पक्ष में करवाई जारी नॉटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाई गई थी।

केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम को देहान्त हो चुका है केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम के देहान्त होने के बाद उनकी वसीयत दिनांक 15.05.2021 प्रभावी हो जाती है जिसके अनुसार वाद भूमि का वादी खातेदार काश्तकार हो गया है वादी केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम की वसीयत के अनुसार भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का पेश किया गया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 176/150 की कुल 3.5420 हैव में से 1/21 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज है केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छा से अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत वाद के पक्ष में करवाई गई थी जो प्रस्तुत वसीयत से साबित है वसीयतकर्ता केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम का देहान्त हो गया है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है।

केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत अपने दोहिते वादी के पक्ष में दिनांक 15.05.2021 को करवाई गई थी तथा केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम का देहान्त हो गया है जो वसीयत की प्रति एवं मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है वसीयतकर्ता केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम के देहान्त होने पर उनकी वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 176/150 की कुल 3.5420 हैव में से 1/21 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्व डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपर्युक्त अधिकारी (राजस्व)
नौहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. विनोद कुमार पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी बनवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 628 सन 2022 निर्णय दिनांक- 05/08/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बाराणी के खाता संख्या 176/150 की कुल 3.5420 हैक् में से 1/21 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केशर पत्नी नानकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर (हनुमानगढ़)